-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **"ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की खेती करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 20.7 किलोग्राम अवैध हरा गांजा किया गया बरामद। अभियुक्त द्वारा अपने घर के हाते में की जा रही थी अवैध गांजे की खेती।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन ईगल"** के क्रम में दिनांक 01/02.01.2025 को देर रात्रि थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अवैध गांजे की खेती करने वाले अभियुक्त को थाना अतर्रा क्षेत्र के ग्राम आऊ से उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना अतर्रा पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम आऊ में एक व्यक्ति द्वारा अपने घर के हाते में अवैध गांजे की खेती की जा रही है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा ग्राम आऊ में मौके पर छापेमारी कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मौके से 20 किलो 700 ग्राम अवैध हरा गांजा बरामद किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना अतर्रा में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी-

- 20 किलो 700 ग्राम अवैध हरा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवि मिश्रा पुत्र राजाराम मिश्रा निवासी आऊ थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 01/25 धारा 8/20(a) एनडीपीएस एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष अतर्रा श्री कुलदीप कुमार तिवारी
2. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह
3. उ0नि0 दीपक कुमार सैनी
4. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सोनी
5. उ0नि0 श्री सोनू त्यागी
6. कां0 पंकज आर्या
7. कां0 शुभम सिंह
8. म0कां0 पूजा रावत